



भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND
DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

अनुसूची-1
SCHEDULE I
FORM E (See regulation 9)
फार्म ई (विनियम 9 देखें)

पंजीयन संख्या 028
Registration Number

पंजीकरण प्रमाणपत्र
CERTIFICATE OF REGISTRATION

बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की प्रारा 42डी की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण इसके द्वारा से डीजीबीआ इंडिया लि.
वेब एग्रीगेटर प्राधिकरण को उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत बीमा वेब-संग्राहक के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करता है।

*In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 42D of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) the Authority hereby grants a
CERTIFICATE OF REGISTRATION to M/S Digibima Insurance Web Aggregator Pvt Ltd.
to act as INSURANCE WEB AGGREGATOR under that Act.*

उक्त बीमा वेब-संग्राहक के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र क्र. IRDAI/INT/WBA/76/2023 है।
CERTIFICATE OF REGISTRATION Code for the Insurance Web Aggregator is IRDAI/INT/WBA/76/2023

1. यह पंजीकरण प्रमाणपत्र 10.08.2023 से 09.08.2026 तक वैध है।

1. This CERTIFICATE OF REGISTRATION is valid from 10.08.2023 to 09.08.2026.

2. यह पंजीकरण प्रमाणपत्र बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) एवं भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा वेब-संग्राहक) विनियम, 2017 के अधीन है तथा इसके संबंध में यह नहीं समझा जाएगा कि यह किसी अन्य अधिनियम, नियमों अथवा विनियमों के अनुसार अथवा उनके अनुरूप है।

2. This CERTIFICATE OF REGISTRATION is subject to the Insurance Act, 1938, Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) and Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Web Aggregators) Regulations, 2017 and shall not be construed to be in compliance with or in conformity to any other Act, rules or regulations.

आदेशानुसार
By Order

स्थान: हयराबाद
Place: Hyderabad
दिनांक: 10.08.2023
Date:

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के लिए और उनकी ओर से
For and on behalf of Insurance Regulatory and Development Authority of India